



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17208

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3992 वर्ष 2025

महेन्द्र कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 11 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अमर नाथ पांडेय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर नाथ पाण्डेय, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी तथा गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“i- परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम लेदुका, परगना रारी, तहसील बदलापुर, जनपद जौनपुर स्थित खाता संख्या 873, प्लॉट संख्या 1187/0.073, 1190मि./0.073 (अतिक्रमित 0.013 हेक्टेयर) तथा 1192/0.135 हेक्टेयर, जो ग्राम सभा में निहित नवीन परती भूमि है, पर प्रतिवादी संख्या 5 से 12 के अवैध कब्जे को हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें और स्थल पर भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड राजस्व अभिलेखों में नवीन परती के रूप में दर्ज है तथा निजी प्रतिवादी उस पर अवैध कब्जे में हैं; अतः निजी प्रतिवादी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

4. ग्राम सभा द्वारा प्रेषित दिनांक 7.1.2025 का निर्देश, जिसे आज दाखिल किया गया है, अभिलेख पर लिया जाता है।

5. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त निर्देश-पत्री की प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को आज ही उपलब्ध करा दें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने निर्देश-पत्री के आधार पर प्रस्तुत किया कि संबंधित ग्राम समेकन कार्यवाही के अधीन है; अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि यह लोकहित याचिका वास्तविक जनहित में दाखिल नहीं की गई है; इसलिए इसे विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह दर्शाने के लिए निर्देश-पत्री के पैरा 2 एवं 3 का भी उल्लेख किया कि प्रस्तुत लोकहित याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
8. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि संबंधित ग्राम समेकन कार्यवाही के अधीन है।
9. चूँकि ग्राम समेकन कार्यवाही के अधीन है, अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।
10. लोकहित याचिका के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
11. तदनुसार, लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

पी.एस.*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।